

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 1254 व 1255/2011/भीलवाड़ा

मैसर्स साई मार्बल्स एण्ड टाईल्स, भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-तृतीय, वृत्त-बी, भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दोसाया,
अधिवक्ता।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.03.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी, व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 07.01.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो क्रमशः अपील संख्या 178 व 179/आर.एस.टी./2009-10 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-बी, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30, 58, 61 व 68 के तहत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2003-04 व 2004-05 के लिये जरिये पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 15.09.2009 के लिये कायम मांग राशि क्रमशः रू. 34,177/- व रू.27,167/- की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दू सादृश्य है। अतः दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष क्रमशः 2003-04 व 2004-05 के निर्धारण आदेश अधिनियम के तहत क्रमशः दिनांक 08.06.2005 व 15.09.2000 को पारित कर, तदनुसार मांग राशियां कायम की गयी। तत्पश्चात्, ऑडिट आक्षेप के आधार पर, निर्धारण अधिकारी ने विक्रय की गयी पी.वी.सी. वॉटर टैंक पर क्रमशः 12 प्रतिशत व 14 प्रतिशत कर देयता होने के कारण अंतर कर व सरचार्ज आरोपित करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिसेज जारी किये गये। जारी नोटिसेज की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अनुपस्थित रहने पर, निर्धारण अधिकारी ने अंतर कर व सरचार्ज की मांग राशियां कायम कर, पृथक्-पृथक्

लगातार.....2

निर्धारण आदेश पारित किये गये । उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं ।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्तादेश विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण अविधिक एवम् अनुचित है। इस संबंध में प्रारम्भिक विधिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि निर्धारण वर्ष 2003-04 व, 2004-05 के प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी का आदेश विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण "प्रथम दृष्ट्या" ही अविधिक एवम् अनुचित है । इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों व इसके "स्पष्टीकरण" के आलोक में, ऐसी विक्रयावर्त, जिस पर तत्कालीन निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 29 के तहत कर निर्धारण हो चुका हो, पर अधिनियम की धारा 30 के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, आदेश पारित करना विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण, अनुचित एवम् अविधिक है । इस संबंध में विशेष रूप से अधिनियम की धारा 30 के "स्पष्टीकरण" की ओर ध्यानाकर्षित कर तर्क दिया कि यदि कोई निर्धारण आदेश गलत अथवा/और राजस्व हितों के विरुद्ध है, तो ऐसी दशा में, उसे पुनरीक्षित करने की अधिकारिता केवल आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान को है, न कि निर्धारण अधिकारी को । इस संबंध में धारा 87 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के लिये जो निर्धारण कार्यवाही की गयी है, वह "विधिशून्य" है ।

अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों को उद्धरित किया है :-

(i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-एच, जयपुर बनाम् मैसर्स श्री आयुर्वेद, जयपुर 11 टैक्स अपडेट 78 (आर.टी.बी.) ।

(ii) खण्डेलवाल ड्रग ऐजन्सी बनाम् वा.क.अ. वृत्त-एफ, जयपुर, 3 वैट रिपोर्टर 51 आर.टी.बी (डी.बी.) ।

(iii) मै0 एरिक्शन इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. करापवंचन वृत्त-प्रथम, जयपुर 11 टैक्स अपडेट 69 आर.टी.बी (डी.बी.)

(iv) राजस्थान ट्रेडर्स गंगापुर सिटी बनाम् वा.क.अ., गंगापुरसिटी अपील संख्या 1152 से 1154 / 2003 / सवाईमाधोपुर निर्णय दिनांक 23.03.2006 आर.टी.बी.(डी.बी) ।

(v) स.वा.क.अ., घट-द्वितीय, वृत्त-बी, जयपुर बाम् मैसर्स माधो उद्योग, जयपुर 14 टैक्स अपडेट 263 आर.टी.बी. (डी.बी.) ।

(vi) मैसर्स आर.एस.इलेक्ट्रिकल्स, सवाईमाधोपुर बनाम् सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर-द्वितीय, जयपुर 7 टैक्स अपडेट 265 आर.टी.बी (एस.बी.) ।

6. उपर्युक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में दोनों वर्षोंके संबंध में अपीलिय आदेश को उठायी गयी प्राथमिक आपत्ति के आधार पर अपास्त कर, प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

7. गुणावगुण पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अविधिक होने का कथन कर, तर्क दिया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30) एफडी/टैक्स डिवी/2002-143 दिनांक 22.03.02 व एफ.4(30) एफडी/टैक्स डिवी/2002-144 दिनांक 22.03.02 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि अधिसूचना क्रमांक 2002-143 के क्रमांक 130 में में रबड़ तथा प्लास्टिक वस्तुयें, जिसमें पी.वी.सी. वाटर टैंक सम्मिलित होने के कारण, विस्तृत है, जबकि अधिसूचना क्रमांक 2002-144 में केवल मात्र "प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स" अंकित है, संकुचित हैं। अतः अधिसूचना क्रमांक 2002-143 में "प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स" के अर्थ को विस्तृत नहीं किया जा सकता। यह भी कथन किया कि यदि राज्य सरकार की प्लास्टिक वाटर टैंक पर भी कर दर से कर आरोपण करने की मंशा होती तो इस अधिसूचना में "पी.वी.सी. वाटर टैंक" भी जोड़ा जाता।

8. इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 2004-05 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67) एफडी/टैक्स डिवी/2004-22 दिनांक 12.07.04 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि अधिसूचना क्रमांक 2004-22 के क्रमांक 115 "प्लास्टिक प्रोडक्ट्स" जिसमें पी.वी.सी. वाटर टैंक सम्मिलित होने के कारण, विस्तृत है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सही दर से राजकोष में जमा करवाया गया है। कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 व दिनांक 12.07.2004 के आलोक में प्लास्टिक गुड्स में प्लास्टिक वाटर टैंक शामिल नहीं होने के कारण, प्लास्टिक वाटर टैंक पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उचित दर से कर जमा करवाया गया था। अतः आरोपित अंतर कर व सरचार्ज को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् विधि के प्रावधानों का गहन अध्ययन कर, इस संबंध में माननीय न्यायालयों के

उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रारंभिक आपत्ति के बिन्दु पर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन करने के पश्चात्, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि "अधिनियम" की धारा 30 के विधिक प्रावधान, माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के समक्ष अन्य राज्यों के विवादित विधिक प्रावधानों से "भिन्न" होने के कारण, इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है । जैसा कि "अधिनियम" की धारा 30(1)(क)(ख)(ग)के प्रावधान इस प्रकार हैं:-

Section 30:- Escaped assessment (1) An assessment-

- (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or
- (b) in which, **for any reason**, the levy of tax or any fee or sum payable under the Act has been escaped wholly or in part; or
- (c) Wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed **in any way or under any circumstances**,

shall be deemed an escaped assessment and the assessing authority shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).

Explanation:- The assessment under this section shall not include that part of business which has already been assessed under section 29.

10. उक्त प्रावधानों के सूक्ष्म अध्ययन से विदित होता है कि धारा 30(1)के (क)(ख)(ग)में अंकित परिस्थितियों में निर्धारण छूट जाना समझा जायेगा । (Shall be deemed an escaped assessment) इस प्रकार की परिस्थितियां व प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के समक्ष निर्वचन हेतु विवादित ही नहीं थी । अतः माननीय न्यायालयों के निर्णयों को सम्मान व्यक्त करते हुये, यह अवधारित किया जाता है कि "अधिनियम" की धारा 30 के विधिक प्रावधान, माननीय न्यायालयों के समक्ष विवादित प्रावधानों से "भिन्न" होने के कारण, उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत विवादाधीन प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं हैं। जहां तक माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठों के अन्य उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत,

निर्धारण से छूट जाना समझा जायेगा, जैसे प्रावधानों पर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में विचार ही नहीं हुआ है। अतः समन्वय पीठों के निर्णयों को सम्मान व्यक्त कर, अधोहस्ताक्षरी की पीठ हम इस संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों से सहमति नहीं रखती।

11. इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया न्यायिक निर्णय दिनांक 27.01.2010, एस.बी.सिविल वेट रिवीज़न पिटीशन नं.179/2009 व 180/2009, जो मै. अली मोहम्मद अब्दुल मजीद बनाम् वा.क.अ., बीकानेर के प्रकरण में पारित किया गया है, में प्रतिपादित सिद्धांत उल्लेखनीय है। माननीय न्यायालय ने धारा 30 की व्याख्या निम्न प्रकार की है:- “..... As far as the question of restoring to section 30 of the Act is concerned the said provision permits the assessing authority to frame assessment in case some taxable turnover has escaped assessment. The said provision gives wide power to the assessing authority to bring to tax such escaped turnover or tax liability.....” इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुन्दरम् पिल्लई बनाम् पट्टाभिरामन् (1985) 1 एस.सी.सी 59 पेज 613 में माननीय न्यायमूर्ति श्री फज़ल अली ने “स्पष्टीकरण” (Explanation) के मामले में प्रावधानों के उद्देश्यों के संबंध में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया है:-

- (a) to explain the meaning and intendment of the Act itself.
- (b) where there is any obscurity or vagueness in the main enactment, to clarify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seems to subserve.
- (c) to provide an additional support to the dominant object of the Act in order to make it meaningful and purposeful,
- (d) an explanation cannot in any way interfere with or change the enactment or any part thereof but where some gap is left which is relevant for the purpose of the Explanation, in order to suppress the mischief and advance the object of the Act it can help or assist the Court in interpreting the true purport and intendment of the enactment,

12. अतः उक्त विधिक निर्वचन एवम् धारा 30 के प्रावधानों की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा की गयी हालिया व्याख्या के आलोक में, विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उठायी गयी प्राथमिक आपत्ति विधिसम्मत एवम् न्यायोचित नहीं होने के कारण, अस्वीकार की जाती है।

13. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवम् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित अधिसूचनाओं का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष विवादित



 लगातार.....6

प्रश्न यह है कि क्या अधिसूचित "प्लास्टिक गुड्स"की शब्दावली में "प्लास्टिक वाटर टैंक" भी शामिल है ? हस्तगत प्रकरणों में केवल मात्र यह बिन्दु निहित है कि दोनों अधिसूचनाओं यथा 22.03.2002 व 12.07.2004 के प्रकाश में पीवीसी वाटर टैंक पर आलौच्य अवधि में कर दर 12/14 प्रतिशत है अथवा 8/9 प्रतिशत होगी। दोनों अधिसूचनाओं में प्रविष्टि निम्न शब्दों में दी गयी है :-

(1) अधिसूचना क. एफ.4(30)एफडी/टैक्स डि./2000-143 दिनांक 22.03.2002 में प्रविष्टि संख्या 121 निम्न प्रकार है :-

130 Rubber and plastic Products including PVC Water Tank..... 12%

(2) अधिसूचना क. एफ.4(30)एफडी/टैक्स डि./2002-144 दिनांक 22.03.2002 में प्रविष्टि संख्या 11 निम्न प्रकार है :-

Plastic Products.....8%

(3) अधिसूचना दिनांक क्रमांक एफ.4(67) एफडी/टैक्स डि.वी/2004-22 दिनांक 12.07.04 की प्रविष्टि क्रमांक 115 निम्न प्रकार है:-

Plastic Products9%

(4) अधिसूचना दिनांक क्रमांक एफ.4(67) एफडी/टैक्स डि.वी/2004-22 दिनांक 12.07.04 की प्रविष्टि क्रमांक 138 निम्न प्रकार है:-

Rubber products and PVC water tank14%

14. उक्त दोनों अधिसूचनाओं में अंकित प्रविष्टियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पहली अधिसूचना में रबड तथा प्लास्टिक दोनों की वस्तु जिसमें पीवीसी वाटर टैंक सम्मिलित है, विस्तृत है तथा दूसरी अधिसूचना केवल मात्र प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिखा गया है, संकुचित है।

15. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पहली अधिसूचना में कई प्रविष्टियों में निर्धारित प्लास्टिक तथा पीवीसी वस्तुओं पर अलग-अलग दर से कर देय है जैसे क्रमांक 48 पर पीवीसी पाईप्स, एचडीपीई पाईप्स, प्लास्टिक तथा उनकी फिटिंग्स पर कर दर 4 प्रतिशत रखी गयी है। अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग रूप में प्लास्टिक वस्तुओं के वर्णन से स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रविष्टि का तात्पर्य उसमें वर्णित वस्तुओं से ही लिया जाए। अतः अधिसूचना क.एफ.4(30)एफडी/टैक्स डि./2002-143 दिनांक 22.03.2002 व अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67) एफडी/टैक्स डि.वी/2004-22 दिनांक 12.07.04 में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का अर्थ को विस्तृत नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार की पीवीसी वाटर टैंक पर भी 8/9 प्रतिशत की रियायती कर दर लगाने की मंशा होती तो इस अधिसूचना में पीवीसी वाटर टैंक भी जोड़ा जाता। इससे स्पष्ट है कि प्रविष्टि संख्या 130 में प्रयुक्त इन्क्लुडिंग शब्द में पीवीसी वाटर टैंक स्वतः ही प्लास्टिक वस्तुओं में सम्मिलित नहीं होता, अतः उसका भिन्न अस्तित्व रहता है। अतः उसे दूसरी



 लगातार.....7

अधिसूचना में स्वतः प्लास्टिक वस्तुओं में सम्मिलित नहीं माना जा सकता। इस संबंध में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि कर कानूनों में जो कुछ लिखा गया है उसके अतिरिक्त पढ़ा जाना अनुज्ञेय नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट है कि अधिसूचना क्रमांक 2002-144 दिनांक 22.03.2002 व अधिसूचना क्रमांक 2004-22 दिनांक 12.07.2004 से अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद “पीवीसी वॉटर टैंक” उपर्युक्त वर्णित इन्द्राजों से अधिशासित होते हैं एवम् इस संबंध में विधायिका द्वारा किये गये इन्द्राज विशिष्ट है। अतः उपर्युक्त वर्णित विवेचन व इन्द्राजों के अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद 12/14 प्रतिशत की दर से ही कर दायित्व है। अतः उक्त बिक्रीत वस्तु के लिये कर दर के विशिष्ट इन्द्राज मौजूद होने के कारण, उक्त वस्तु पर कर की दर 12 व 14 प्रतिशत ही है जिसे दोनों अवर अधिकारियों द्वारा 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित करने में कोई विधिक त्रुटि की गयी है।

16. हस्तगत प्रकरणों में विवादित बिन्दु पर निर्णय हेतु माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि व अनुसूचियों में वर्णित कर दर के इन्द्राजातों पर विचार करना समीचीन होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, चण्डीगढ़ बनाम मैसर्स दोआबा स्टील रोलिंग मिल्स, सिविल अपील क्रमांक 3400 ऑफ 2003 निर्णय दिनांक 06.07.2011 में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया गया है:-

“....the principle that a taxing statute should be strictly construed is well settled. It is equally true that the intention of the Legislature is primarily to be gathered from the words used in the statute. Once it is shown that an assessee falls within the letter of the law, he must be taxed however great the hardship may appear to the judicial mind to be.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त वर्णित न्यायिक निर्णय में इस संबंध में कराधान के सिद्धांतों की व्याख्या को सुस्पष्ट करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व में निर्णित निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि को निम्न प्रकार अंकित किया है:-

On the principles of interpretation of taxing statutes, the following passage from the opinion of Late Rowlatt, J. In Cape Brandy Syndicate Vs. Inland Revenue Commissioner's 1921 (1) के.बी 64, 71 has become the locus classicus and has been quoted with approval in a number of decisions of this court:

“.....in a taxing act, one has to look merely at what is clearly said. There is no room for any intendment. There is



 - लगातार.....8

no equity about a tax. There is no presumption as to a tax. Nothing is to be read in, nothing is to be implied. One can only look fairly at the language used. (पैरा-20)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत *Commissioner of Sales Tax, Uttar Pradesh Vs. The Modi Sagar Mills Ltd.*, (1961) 2 एस.सी.आर. 189 में J.C. Shah, J. की अभिव्यक्तियों को निम्न प्रकार अंकित किया है:-

“In Interpreting a taxing statute, equitable considerations are entirely out of place. Nor can taxing statutes be interpreted on any presumptions or assumptions. The court must look squarely at the words of the statute and interpret them. It must interpret a taxing statute in the light of what is clearly expressed, it cannot imply anything which is not expressed,; it cannot import provisions in the statutes so as to supply any assumed deficiency.” (पैरा-21)

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत *Maturam Agarwal Vs. State of Madhya Pradesh*, (1999) 8 एस.सी.सी. 667 में न्यायमूर्ति D.P.Mahapatra, ने संवैधानिक पीठ की ओर से निम्न प्रकार विधि को अवधारित किया है:-

“The intention of the legislature in a taxation statute is to be gathered from the language of the provisions particularly where the language is plain and unambiguous. In a taxing Act it is not possible to assume any intention or governing purpose of the statute more than what is stated in the plain language.

इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत श्रीराम पिस्टन एण्ड रिग्स लि., (1991) 82 एस.टी.सी. 381 व माननीय केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत रिलायन्स ट्रेडिंग कं. (2000) 119 एस.टी.सी. 321 में निम्न प्रकार विधि को संदर्भित कर उचित आदेश पारित किया गया है।

“..a commodity falling under the general entry as also in a special entry has to be taxed in terms of the special entry as the same would prevail over the general entry.

17. इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि विवादित बिन्दु के संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु “पी.वी.सी. वॉटर टैंक” के वर्गीकरण के संबंध में, ऊपर वर्णित अधिसूचनाओं में अंकित प्रविष्टियों

अपील संख्या - 1254 व 1255/2011/भीलवाड़ा

के आलोक में, स्पष्ट व विस्तृत निष्कर्ष अवधारित कर, मांग राशियां वसूली योग्य होना कायम कर दी हैं, जो पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। इस संबंध में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1821/2006/अजमेर निर्णय दिनांक 24.03.2007 को अस्वीकार किया गया। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

18. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।


4.3.2015
(मदन लाल)
सदस्य


(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष